



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21112020-223231
CG-DL-W-21112020-223231

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2020, शनिवार/ कार्तिक 17—कार्तिक 23, 1942
No. 42] NEW DELHI, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2020, SATURDAY/KARTIKA 17—KARTIKA 23, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2020

का.आ. 993.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक, श्री दिनेश कुमार खारा (जन्म तिथि: 28.8.1961) को दिनांक 7.10.2020 को अथवा उसके पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2020-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

सरकार की अधिसूचना के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना की संख्या का.आ. 3975 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क समूह-1 अर्थात् लौह अयस्क के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंगलौर पत्तन में उक्त खनिज एवं अयस्क के निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :

- (i) यह अभिकरण, खनिज और अयस्क समूह-1 के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा निमित्त नामनिर्दिष्ट अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं देगी; और
- (ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए निर्देशों से आबद्ध होगी।

[फा. सं. के-16014/12/2020-निर्यात निरीक्षण]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 10th November, 2020

S.O. 1006.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s. Minerals Lab Services Private Limited, D.No. 1-30-18, 'Shri Durgamba Nivas', Ground Floor, 4th Mail, Bangra Kulur, Near Anand Garage, Kottara Chowki, Mangaluru, Karnataka-575013, (hereinafter referred to as the said agency), as an agency for a period of three years from the date of publication of this notification, for the inspection of Minerals and Ores- Group-I, namely, Iron Ore specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce published in the official Gazette vide number S.O. 3975, dated the 20th December, 1965, prior to export of the said Mineral and Ore at Mangalore Port, subject to the following conditions, namely:-

- (i) the said agency shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in carrying out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965; and
- (ii) the said agency in performance of its function as specified in this notification shall be bound by such directions as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council may give, in writing, from time to time.

[F. No. K-16014/12/2020-Export Inspection]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2020

का.आ. 1007.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20)(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 2 मई, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 399, तारीख 30 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में

विनिर्दिष्ट 428.64 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 1059.19 एकड़ (लगभग) परिक्षेत्र की भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, उपर्युक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखंड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 428.64 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 1059.19 एकड़ (लगभग), माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में और उस पर के सभी अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 428.64 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 1059.19 एकड़ (लगभग), माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में और उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक आरईवी/04/2020, तारीख 22 सितंबर, 2020 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला रामगढ़ और बोकारो (झारखंड) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता 700001 के कार्यालय में अथवा महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोतरे बसंतपुर पंचमो क्षेत्र, जिला रामगढ़ और बोकारो (झारखंड) अथवा महाप्रबंधक, भूमि और राजस्व, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची- 834001, झारखंड अथवा मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची- 834008, झारखंड के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

कोतरे बसंतपुर पंचमो ओसीपी

जिला रामगढ़ और बोकारो (झारखण्ड)

[रेखांक संख्यांक आरईवी/04/2020, तारीख 22 सितंबर, 2020]

सभी अधिकार:

क्र.सं.	ग्राम	थाना संख्या	थाना	जिला	क्षेत्र		टिप्पणियां
					हेक्टेयर में	एकड़ में	
1.	बसंतपुर	105	मांडू	रामगढ़	107.24	265.00	भाग
2.	कोतरे	106	मांडू	रामगढ़	253.33	626.00	भाग
3.	हरदाग	28	गोमिया	बोकारो	15.38	38.00	भाग
4.	पंचमो	27	गोमिया	बोकारो	32.26	79.71	भाग
5.	पुरनापानी	25	गोमिया	बोकारो	20.43	50.48	भाग
कुल :					428.64 हेक्टेयर (लगभग)	1059.19 एकड़ (लगभग)	

1. ग्राम बसंतपुर में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक: 78 (भाग) और 85 (भाग)।

2. ग्राम कोतरे में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक : 1, 2, 3, 4 (भाग), 5 से 16, 17 (भाग), 21 (भाग), 22 (भाग), 23 (भाग), 24, 25 (भाग), 27, 28 (भाग), 31, 32, 33 (भाग), 34 (भाग), 37 (भाग), 38 (भाग) और

17/52।

3. ग्राम हुरदाग में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक : 1 (भाग) और 2 (भाग)।
 4. ग्राम पचमो में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक : 7 (भाग), 8 (भाग), 9 (भाग), 333 (भाग) और 352 (भाग)।
 5. ग्राम पुरनापानी में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक : 108 (भाग), 109 (भाग) और 112 (भाग)।

भू-अभिलेख के अनुसार अर्जित की गई भूमि का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:-

जिला : रामगढ़ (झारखंड) :

ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	भूमि-का-प्रकार	अभिलेख में भूस्वामी का नाम	पिता / पति का अभिलेख में भूस्वामी नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बसंतपुर	105	71	78(भाग)	247.61	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
बसंतपुर	105	71	85(भाग)	17.39	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कुल :			2 प्लॉट का संख्यांक	265.00 एकड़			
कोतरे	106	1	1	100.00	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	1	2	88.02	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	1	3	90.22	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	1	4(भाग)	81.01	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	1	5	95.25	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	2	6	0.35	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	7	0.85	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	8	0.04	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	9	0.06	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	10	1.50	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	11	0.34	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	12	1.06	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	13	0.11	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	14	0.31	रैयती	ठाकुर महतो	टौली महतो

						इत्यादि	
कोतरे	106	2	15	0.70	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	16	0.31	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	17(भाग)	2.15	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	1	21(भाग)	4.94	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	2	22(भाग)	0.30	रैयती	ठाकुर महतो	टौली महतो
कोतरे	106	2	23(भाग)	1.81	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	1	24	0.01	गैर मजरुवा खास	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	5	25(भाग)	0.53	रैयती	सुखलाल महतो इत्यादि	बोधराम महतो
कोतरे	106	2	27	0.32	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	4	28(भाग)	0.41	रैयती	लेदवा कुमार	मएआ रामकुमार
कोतरे	106	1	31	48.00	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	5	32	0.91	रैयती	सुखलाल महतो इत्यादि	बोधराम महतो
कोतरे	106	2	33(भाग)	0.54	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	1	34(भाग)	37.22	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	1	37(भाग)	59.02	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	1	38(भाग)	8.54	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	2	17/52	0.57	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कुल:			31 प्लॉट का संख्यांक	626.00 एकड़			

जिला : बोकारो (झारखंड) :

ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	भूमि का प्रकार	अभिलेख में भूस्वामी का नाम	पिता / पति का अभिलेख में भूस्वामी नाम
हुरदाग	28	1	1(भाग)	6.85	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
हुरदाग	28	1	2(भाग)	31.15	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी

					और सरकारी भूमि		भूमि
कुल			2 प्लॉट का संख्यांक	38.00 एकड़			
पचमो	27	2	7(भाग)	28.08	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पचमो	27	2	8(भाग)	12.67	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पचमो	27	2	9(भाग)	17.68	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पचमो	27	2	333(भाग)	9.53	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पचमो	27	2	352(भाग)	11.75	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कुल			5 प्लॉट का संख्यांक	79.71 एकड़			
पुरनापानी	25	1	108(भाग)	20.00	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पुरनापानी	25	1	109(भाग)	18.13	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पुरनापानी	25	1	112(भाग)	12.35	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कुल			3 प्लॉट का संख्यांक	50.48 एकड़			

सीमा वर्णन :

ए-बी-सी-डी-ई-एफ-जी-एच-आइ-जे-के-एल-एम-एन-ओ-पी-क्यू-आर-ए	-	रेखा बिन्दु 'ए' से आरंभ होकर ग्राम बसंतपुर के प्लॉट संख्या 85 और 78 ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 1, ग्राम पुरनापानी के प्लॉट संख्या 108, 109 और 112, ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 3,4 और 37, ग्राम हुरदाग के प्लॉट संख्या 1 और 2, ग्राम पचमो के प्लॉट संख्या 7,8, 352 और 333, ग्राम हुरदाग के प्लॉट संख्या 2, ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 38, 37, 34, 31, 33, 28, 27, 25, 23, 22, 17, 52, 21, 10, 7 और 6, ग्राम बसंतपुर के प्लॉट संख्या 78 और 85 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'ए' पर मिलती है।
ए-बी-सी-डी-ई-एफ-जी-एच-आइ-जे-के	-	रेखा बिन्दु 'ए' से आरंभ होकर ग्राम बसंतपुर के प्लॉट संख्या 85 और 78, ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 1, ग्राम पुरनापानी के प्लॉट संख्या 108,109 और 112, ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 3,4 और 37, ग्राम हुरदाग के प्लॉट संख्या 1 और 2, ग्राम पचमो के प्लॉट संख्या 7, 8, 352 और 333 से गुजरते हुए बिन्दु 'के' पर मिलती है, जोकि कोतरे बसंतपुर पचमो ओसीपी के परियोजना रिपोर्ट के अनुसार नयी अधिग्रहण सीमा है।
के-एल-एम-एन-ओ-पी-क्यू	-	रेखा बिन्दु 'के' से आरंभ होकर ग्राम पचमो के 333, 352, 9 और 7, ग्राम हुरदाग के प्लॉट संख्या 2, ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 38, 37, 34, 31, 33, 28, 27, 25, 23, 22, 17, 52 और 21 से गुजरते हुए, पचमो, हुरदाग और कोतरे ग्रामों के भाग (कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के

		अधीन का. आ. 2082, तारीख 30 जून, 1981 के माध्यम से अधिग्रहित हुरदाग ब्लॉक की अधिग्रहण सीमा} की बिन्दु 'क्यू' पर मिलती है।
क्यू-आर-ए	-	रेखा बिन्दु 'क्यू' से आरंभ होकर ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 21, 10, 7 और 6, ग्राम बसंतपुर के प्लॉट संख्या 78 और 85 से गुजरते हुए, कोतरे और बसंतपुर ग्रामों के भाग {कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का. आ. 981(अ), तारीख 22 दिसंबर, 1980 के माध्यम से अधिग्रहित बसंतपुर ब्लॉक की अधिग्रहण सीमा} आरंभिक बिन्दु 'ए' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/15/2018-एलए एण्ड आईआर]

मुकेश, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 12th November, 2020

S.O. 1007.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 399, dated the 30th April, 2020, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd May, 2020, the Central Government gave notice of its intention to acquire the the land measuring 428.64 hectares (approximately) or 1059.19 acres (approximately) and all rights in and over such land in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Jharkhand is satisfied that the all rights in and over land measuring 428.64 hectares (approximately) or 1059.19 acres (approximately), described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that all rights in and over land measuring 428.64 hectares (approximately) or 1059.19 acres (approximately), described in the Schedule annexed hereto are hereby acquired.

The plan bearing number REV/04/2020, dated the 22nd September, 2020 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, District – Ramgarh and Bokaro (Jharkhand) or at the office of Coal Controller, 1, Council House street, Kolkata -700001 or in the office of the General Manager, Central Coalfields Limited, Kotre Basantpur Pachmo Area, District Ramgarh and Bokaro (Jharkhand) or General Manager, Land and Revenue, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001, Jharkhand or Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi - 834008, Jharkhand.

SCHEDULE

KOTRE BASANTPUR PACHMO OCP

DISTRICT- RAMGARH AND BOKARO (JHARKHAND)

[Plan bearing number Rev/04/2020, dated the 22nd September, 2020]

ALL RIGHTS :

Sl. No.	Village	Thana number	Thana	District	Area		Remarks
					In hectares	In acres	
1.	Basantpur	105	Mandu	Ramgarh	107.24	265.00	Part
2.	Kotre	106	Mandu	Ramgarh	253.33	626.00	Part
3.	Hurdag	28	Gomia	Bokaro	15.38	38.00	Part
4.	Pachmo	27	Gomia	Bokaro	32.26	79.71	Part
5.	Purnapani	25	Gomia	Bokaro	20.43	50.48	Part
Total:					428.64 hectares (approx- mately)	1059.19 acres (approx- mately)	

1. Plot numbers acquired in village Basantpur : 78 (P) and 85 (P).
2. Plot numbers acquired in village Kotre : 1, 2, 3, 4 (P), 5 to 16, 17 (P), 21 (P), 22 (P), 23 (P), 24, 25 (P), 27, 28 (P), 31, 32, 33 (P), 34 (P), 37 (P), 38 (P) and 17/52.
3. Plot numbers acquired in village Hurdag: 1(P) and 2(P).
4. Plot numbers acquired in village Pachmo: 7(P), 8(P), 9(P), 333(P) and 352(P).
5. Plot numbers acquired in village Purnapani: 108(P), 109(P) and 112(P).

Details of land acquired with land records is given in the table below:-

District: Ramgarh (Jharkhand):

Village	Thana number	Khata number	Plot number	Intention to acquire the area (in acres)	Class of land	Name of recorded Tenant	Father's / Husband's name of recorded Tenant
Basantpur	105	71	78(P)	247.61	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Basantpur	105	71	85(P)	17.39	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Total		2 numbers of plots		265.00 acres			
Kotre	106	1	1	100.00	Notified Forest	Govt. Land	Govt. Land
Kotre	106	1	2	88.62	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Kotre	106	1	3	90.22	Notified Forest	Govt. Land	Govt. Land
Kotre	106	1	4(P)	81.01	Notified Forest	Govt. Land	Govt. Land
Kotre	106	1	5	95.25	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Kotre	106	2	6	0.35	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	7	0.85	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	8	0.04	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	9	0.06	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	10	1.50	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	11	0.34	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	12	1.06	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	13	0.11	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	14	0.31	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	15	0.70	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	16	0.31	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	17(P)	2.15	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto

Kotre	106	1	21(P)	4.94	Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Kotre	106	2	22(P)	0.30	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	23(P)	1.81	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	1	24	0.01	GMK	Govt. Land	Govt. Land
Kotre	106	5	25(P)	0.53	Tenancy	Sukhlal Mahto etc.	Bodhram Mahto
Kotre	106	2	27	0.32	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	4	28(P)	0.41	Tenancy	Ledwa Kumar	Maea Ram kumar
Kotre	106	1	31	48.00	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Kotre	106	5	32	0.91	Tenancy	Sukhlal Mahto etc.	Bodhram Mahto
Kotre	106	2	33(P)	0.54	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	1	34(P)	37.22	Notified Forest	Govt. Land	Govt. Land
Kotre	106	1	37(P)	59.02	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Kotre	106	1	38(P)	8.54	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Kotre	106	2	17/52	0.57	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Total			31 numbers of plots	626.00 acres			

District: Bokaro (Jharkhand):

Village	Thana number	Khata number	Plot number	Intention to acquire the area (in acres)	Class of land	Name of recorded Tenant	Father's / Husband's name of recorded Tenant
Hurdag	28	1	1(P)	6.85	Notified Forest	Govt. Land	Govt. Land
Hurdag	28	1	2(P)	31.15	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Total			2 numbers of plots	38.00 acres			
Pachmo	27	2	7(P)	28.08	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Pachmo	27	2	8(P)	12.67	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Pachmo	27	2	9(P)	17.68	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Pachmo	27	2	333(P)	9.53	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land
Pachmo	27	2	352(P)	11.75	Notified Forest and Govt. Land	Govt. Land	Govt. Land

Total		5 numbers of plots		79.71 acres			
Purnapani	25	1	108(P)	20.00	Notified Forest	Govt. Land	Govt. Land
Purnapani	25	1	109(P)	18.13	Notified Forest	Govt. Land	Govt. Land
Purnapani	25	1	112(P)	12.35	Notified Forest	Govt. Land	Govt. Land
Total		3 numbers of plots		50.48 acres			

Boundary Description:

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K- L-M-N-O-P-Q-R-A	Line starts from point 'A' and passes through plot no. 85 and 78 of village Basantpur, plot No. 1 of village Kotre, plot no. 108, 109 and 112 of village Purnapani, plot No. 3, 4 and 37 of village Kotre, plot no. 1 and 2 of village Hurdag, plot No. 7, 8, 352 and 333 of village Pachmo, plot no. 2 of village Hurdag, plot No. 38, 37, 34, 31, 33, 28, 27, 25, 23, 22, 17, 52, 21, 10, 7 and 6 of village Kotre, plot no. 78 and 85 of village Basantpur and meets at starting point 'A'.
A-B-C-D-E-F-G-H- I-J-K	Line starts from point 'A' and passes through plot no. 85 and 78 of village Basantpur, plot no. 1 of village Kotre, plot no. 108, 109 and 112 of village Purnapani, plot no. 3, 4 and 37 of village Kotre, plot no. 1 and 2 of village Hurdag, plot no. 7, 8, 352 and 333 of village Pachmo and meets at point 'K', which is new acquisition boundary as per Project Report of Kotre Basantpur Pachmo OCP.
K-L-M-N-O-P-Q	Line starts from point 'K' and passes through plot no. 333, 352, 9 and 7 of village Pachmo, plot no. 2 of village Hurdag, plot no. 38, 37, 34, 31, 33, 28, 27, 25, 23, 22, 17, 52 and 21 of village Kotre and meets at point 'Q', (part village of Pachmo, Hurdag and Kotre) [Acquisition boundary line of Hurdag Block under section 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, number S.O. 2082, dated 30 th June, 1981].
Q-R-A	Line starts from point 'Q' and passes through plot no. 21, 10, 7 and 6 of village Kotre, plot no. 78 and 85 of village Basantpur and meets at starting point 'A', part village of Kotre and Basantpur (Acquisition Boundary Line of Basantpur Block under section 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 number S.O. 981(E), dated 22 nd December, 1980.)

[F. No. 43015/15/2018-LA&IR.]

MUKESH, Under Secy.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(एसएमई अनुभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2020

का.आ. 1008.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 14 मई, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की